



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042023-245496  
CG-DL-E-27042023-245496

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]  
No. 256]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 2023/वैशाख 7, 1945  
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2023/VAISAKHA 7, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 318(अ).—प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) तारीख 18 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320 (अ) के अधीन अधिसूचित किए गए थे;

और, उक्त नियमों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अधीन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित किए गए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण कराते समय, निकायों को कंपनी की पैन संख्या, जीएसटी संख्या, सीआईएन संख्या तथा प्राधिकृत व्यक्ति अथवा प्रतिनिधि की आधार संख्या और पैन संख्या एवं यथापेक्षित अन्य आवश्यक सूचना उपलब्ध करानी होगी;

और, सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) के लिए आधार अधिप्रमाणन नियम, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त दिशानिर्देशों के पैरा 6 के उप-पैरा(1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर, हां/नहीं अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करते हुए, उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड स्वामियों और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं के रूप में निवासियों के रजिस्ट्रीकरण करने के प्रयोजन से, स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन करना अनुज्ञात किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10 के, उपनियम (5) में, उपबंध में, दोनों स्थानों पर आने वाले '2023' अंकों के स्थान पर, क्रमशः '2024' अंक रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के, नियम 11 के, उप नियम (1) में, खंड (क) में, उप-खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- "ठोस प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए"

4. उक्त नियमों के, नियम 13 में,-

(i) उप-नियम (2) में, "या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"9 (क) इस नियम के अधीन अनुदत्त किया गया रजिस्ट्रीकरण विद्यमान विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व रजिस्ट्रीकरण के अधीन उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों के अनुरोध पर ही परिवर्तित किया जाएगा,

(ख) इस नियम के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जब तब कि वापस, निलंबित या रद्द न किया जाए और तदुपरांत तीन वर्ष के लिए अनुदत्त किया जाएगा।"

5. उक्त नियमों की, अनुसूची II में,-

(i) पैरा 6 में खंड (6.6) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"6.6 रजिस्ट्रीकरण कराते समय इकाईयों को कंपनी के मामले में पैन संख्या, जीएसटी संख्या, सीआईएन संख्या देनी होगी, और निकाय आधार संख्या दे सकेंगे, और प्राधिकृत व्यक्ति या प्रतिनिधि की पैन संख्या और यथा अपेक्षित कोई अन्य आवश्यक सूचना प्रदान करनी होगी।"

(ii) पैरा 10 में, खंड (10.6) में, निम्नलिखित उपबंध अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2023 होगी।"

(iii) पैरा 11 में, खंड (11.2) में, निम्नलिखित उपबंध अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 होगी।"

[फा. सं. 12/31/2023-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार अपर सचिव

**टिप्पणी :** मूल नियम भारत के राजपत्र में, संख्या सा.का.नि. 320 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तदनंतर इनमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285 (अ), तारीख 27 मार्च, 2018, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 571 (अ), तारीख 12 अगस्त, 2021, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 647 (अ), तारीख 17 अगस्त, 2021 के द्वारा संशोधन किया गया था और इनमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 133 (अ), तारीख 16 फरवरी, 2022 द्वारा और संशोधन किया गया तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 522 (अ), तारीख 6 जुलाई 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th April, 2023

**G.S.R. 318(E).**—Whereas, the Plastic Waste Management Rules, 2016, (hereinafter referred to as the said rules) were notified *vide* notification number G.S.R. 320 (E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016;

And Whereas, while registering on the centralized online portal developed by the Central Pollution Control Board, *vide* the guidelines specified in Schedule II of the said rules, the entities shall have to provide PAN Number, GST Number, CIN Number of the company and Aadhar Number and PAN Number of authorized person or representative and any other necessary information as required.

And Whereas in pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Ministry of Electronics and Information Technology has allowed the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, to perform Aadhaar authentication on voluntary basis, for the purpose of registration of residents as producers, importers, Brand owners and plastic Waste processors, using Yes/no authentication facility, on the centralized portal developed by the Central Pollution Control Board, as specified in clause (a) of sub-para (1) of para 6 of the said guidelines.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6, and 25 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the ,

Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely :-

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 10, in the sub-rule (5), in the provision, for the figures “2023” occurring at both places, the figures “2024” shall respectively be substituted.

3. In said rules, in rule 11, in sub-rule (1), in clause (a), after sub-clause (iii) , the following clause shall be inserted, namely:- “ for rigid plastic packaging “

4. In the said rules, in rule 13,-

(i) in sub-rule (2), the words “or for renewal of registration” shall be omitted;

(ii) for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

“9(a) The registration granted under this rule shall be changed only on the request of Producers, Importers & Brand owners, under the existing Extended Producer Responsibility registration ,

(b) The registration granted under this rule shall be valid for a period of one year, unless revoked, suspended or cancelled and shall subsequently be granted for three years.”

5. In the said rules, in Schedule II,-

(i) in paragraph 6 for clause (6.6), the following clause shall be substituted, namely :-

“6.6 While registering, the entities shall have to provide PAN Number, GST Number, CIN Number **in case of company**, and the entities may provide Aadhar Number, and shall provide PAN Number of authorized person or representative and any other necessary information as required.”

(ii) in paragraph 10, in clause (10.6), the following provision shall be inserted, namely :-

**“Provided that the last date for filing of annual returns shall be the 31<sup>st</sup> October 2023 for the financial year 2022-2023.**

(iii) In paragraph 11, in clause (11.2), the following provision shall be inserted, namely :-

“Provided that the last date for filing of annual returns shall be the 31<sup>st</sup> July 2023 for the financial year 2022-2023.

[F. No. 12/31/2023-HSM]

NARESH PAL GANGWAR , Addl. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R 320 (E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016 and subsequently amended, *vide* notification number G.S.R 285 (E), dated the 27<sup>th</sup> March, 2018, *vide* notification number G.S.R. 571 (E), dated the 12<sup>th</sup> August, 2021, *vide* notification number G.S.R. 647(E), dated the 17<sup>th</sup> August, 2021, further amended *vide* notification number G.S.R. 133 ( E), dated the 16<sup>th</sup> February 2022 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 522 ( E), dated the 6<sup>th</sup> July 2022.